न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—280/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/280)

1. रणवीर सिंह पुत्र रतनसिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रतनसिंह
3. कुकी पत्नि रणवीर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम अमरगढ़ तहसील तहसील पीसांगन.

अपीलांटस

बनाम

1. भंवरी पत्नि सरजनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम अमरगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. सुनीता पत्नि शांतिलाल जाति जैन निवासी विनोद नगर ब्यावर तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. मेवासिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति रावत निवासी ग्राम अमरगढ़ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (कैम्प कोर्ट लमाना) विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.10.2021 राजस्व वाद संख्या 78/2018

उपस्थितः—

1. श्री, रोहित सोनी, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री, लक्ष्मण नाथ योगी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 03.
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. रेस्पोडेंट संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 25.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (कैम्प कोर्ट लमाना) द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 ने विरूद्ध प्रार्थीगण एवं शेष अप्रार्थीगण एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें यह निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 229 रकबा 0.79 है0 ग्राम अमरगढ़ तहसील पीसांगन में स्थित है। साथ ही मिथ्या कथन किए कि उक्त आराजी में जाने हेतु अवस्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 217 से आने जाने हेतु अवस्थित गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 217 से आने जाने हेतु खसरा संख्या 230, 244, 240, 242, 241 में होकर आना जाना पड़ता है। जिसे प्रार्थीगण ने बंद कर दिया है। अंतत अनूतोष मांगा कि उक्त मार्ग को खुलवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांटस ने जवाब प्रस्तुत कर अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने एवं आवेदित मांग वाले रास्ते का आज तक उपयोग नहीं किए जाने से रास्ता विद्यमान नहीं होने का उज्र लिया। साथ ही रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी से लगते हुए उसके भाईयों की खातेदारी विद्यमान होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाए जाने का भी उर्ज लिया था। जिसकी ताईद तलब मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड से भी हो गई थी। फिर भी विचारण न्यायालय ने अपीलांटस द्वारा लिए गए उज्रात को नजरअंदाज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 की अक्षरस मांग के आधार पर बिना किसी राजीनामें एवं बिना अपीलांटस की सहमति के कैम्प कोर्ट लमाना में अपीलांटस की आराजीयात में से नया रास्ता घोषित करने का क्षेत्राधिकारविहिन निर्णय दिनांक को 04.10.2021 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (कैम्प कोर्ट लमाना) द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांटस एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 02 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि किसी प्रकरण में विवाद होने पर उन्हें लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निस्तारीत नहीं किया जा सकता है। साथ ही बिना किसी भी पक्ष के राजीनामे प्रस्तुत किए एवं बिना सहमति के लोक अदालत में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में ना तो कोई राजीनामा प्रस्तुत किया ना हीकोई सहमति व्यक्त की जो कि आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है। जिनसे भली भांति यह साबित होता है कि तहत अदालत को प्रकरण नियमित अदालत की सुनवाई हेतु तारीख प्रदान की जानी चाहिए थी। स्पष्टतया तहत न्यायालय ने विधि की इस बाध्यकारी व्यवस्था को नजरअंदाज कर स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर आक्षेपित निर्णय की प्रमाणित करने हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अपीलांट को दिनांक 06.12.2012 को सत्यप्रतिलिपि प्रदान की गई। तत्पश्चात अधिवक्ता से सम्पर्क कर आज बिना किसी अतिरिक्त देरी के अपील प्रस्तुत की जा रही है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी को न्यायहित में क्षमा कर प्रार्थना पत्र जानकारी से अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध नहीं किया की उसे अपने खेत पर जाने क लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है और नवीन रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। जिसमें तलब की गई मौका रिपोर्ट बाबत अपीलांटस ने तहत न्यायालय के समक्ष आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, फिर भी न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र के उपरोक्त वर्णित आवश्यक शर्त के संबंध में स्पष्ट विश्लेषण एवं विवेचन नहीं करते हुए एवं ना ही स्पष्ट फाईडिंग देते हए विरोधाभाषी आक्षेपित निर्णय पारित किया है। चूंकि तहत न्यायालय में तलब मौका रिपोर्ट से यह अंश सिद्ध था कि अन्य वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है, किंतु उक्त बाबत खातेदारों के नाम अंकित नहीं किए गए थे। तथापि आवेदन द्वारा तहत न्यायालय के

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

समक्ष वैकल्पिक रास्ते का प्रश्न ज्ञात होने पर भी अपीलांटस की आराजीयात में से ही रास्ते चाहने की मंशा व्यक्त की इस तथ्यात्मक स्थिति के विद्यमान होने पर भी आवेदक की अक्षरस मांग के आधार पर अपीलांटस की आराजीयात में से नया रास्ता घोषित करने का अविधिक निर्णय पारित किया है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा प्रथमतः यह स्पष्ट होना चाहिए कि आवेदक को भूमिगत पाईपलाइन बिछाने की अथवा नवीन रास्ता निकालने करने की आत्यन्तिक आवश्यकता होनी चाहिए न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिए। चुंकि हाल अपीलांटस ने जवाब एवं दस्तावेजी साक्ष्य के तहत न्यायालय को अवगत कराया था कि अवेदकगण के खेत पर आने जाने के लिए वैकल्पिक मौजूद रास्ता है। जो कि खसरा संख्या 231, 239, 245 से होकर जा सकता है। जिसकी ताईद तलब मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या दो से स्पष्ट है। इस तथ्यात्मक स्थिति के विद्यमान होने पर भी आवेदक की अक्षरस मांग के आधार पर अपीलांटस की आराजीयात खसरा संख्या 242 को दो हिस्से में बांटकर उसमें से नया रास्ता घोषित करने का आक्षेपित निर्णय पारित कर दिया। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा द्वितीयक शर्त है कि नवीन रासते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। आवेदक ने प्रस्तुत प्रकरण में खसरा संख्या 231, 239, 245 के रेकार्डेड खातेदार को पक्षकार सृजित नहीं किया था। जिस पर वैकल्पिक रास्ता विद्यमान है। जिसकी ताईद तलब मौका रिपोर्ट के बिंदु संख्या 3 से स्पष्ट है। किंतु उनकों आवश्यक पक्षकार सृजित नहीं कर न्यायालय को वास्तविक स्थिति से पूर्णतया स्पष्ट है कि आवेदक के पास जब वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो रास्ता अपीलांटस की खातेदारी से नहीं दिया जा सकता था। जैसा कि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधानित किया गया है। किसी प्रकरण में विवाद होने पर उन्हें लोक अदालत केम्प कोर्ट में निस्तारीत नहीं किया जा सकता है साथ ही बिना किसी भी पक्ष के राजीनामें प्रस्तुत किए एवं बिना सहमति के लोक अदालत में निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में लोक अदालत कैम्प कोर्ट के दौरान अपीलांटस द्वारा ना तो कोई राजीनामा प्रस्तुत किया ना ही कोई सहमति व्यक्त की जो कि आक्षेपित निर्णय के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट है। जिसमें तहत अदालत ने निर्णय में स्पष्ट अंकन किया है कि अपीलांटस/अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 सहमत नहीं है। जिनसे भली भांति यह साबित होता है कि तहत अदालत को प्रकरण नियमित अदालत की सुनवाई हेतु तारीख प्रदान की जानी चाहिए थी। जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार आवश्यक एवं बाध्यकारी होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है। आराजी खसरा संख्या 242 रकबा 0.27 हैक्टर की कूकीदेवी पत्नी रणवीर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त का कभी भी अपीलांट संख्या 3 ने ना तो कोई विक्रय किया है ना ही किसी भी प्रकार के रास्ते बाबत दस्तावेज पर कभी भी हस्ताक्षर किए हैं परंतु एक कूटरचित दस्तावेज दुष्प्रेरण एवं बेईमानी एवं धोखाधडीपूर्वक रास्ते के एवज में यह बेईमानी से एक पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 18.01.2010 को रचा गया है जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में अमल भी नहीं हुआ है। जिसे दौराने लोक अदालत प्रस्तुत किया था। वास्तविकता में उक्त दस्तावेज बाबत एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना मांगलियावास में दिनांक 16.04.2021 को की गई थी जिसमें कि जांच पश्चात उक्त रजिस्ट्री फर्जी पाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गई। रजिस्ट्री में बतौर गवाह मेवासिंह पुत्र बालूसिंह का बयान है कि रजिस्ट्री फर्जी है। अतः उक्त पंजीकृत दस्तावेज दिनांक 18.01.2010 को साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन (कैम्प कोर्ट लमाना) द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01, 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि रेस्पोडेंट की कृषि आराजी में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीया को अपनी कृषि आराजी में आने जोन हेतु नजदीक सुलभ एवं सुगम रास्ता प्रार्थी के खेतों की सीमा के मध्य जो कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 255 पुराना 342 खसरा संख्या 230 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा संख्या 244 रकबा 0.18 हैक्टर खसरा संख्या 240 रकबा 0.25 हैक्टर, की सीमा के पास से व प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 47 पुराना 38 खसरा संख्या 242 रकबा 0.27 हैक्टर के मध्य व प्रार्थी संख्या 3 व 4 की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 264 पुराना 226 खसरा संख्या 241 रकबा 0.47 हैक्टर सीमा के दक्षिण सीमा के पास पर रेस्पोडेंट/प्रार्थीया के खेत की सीमा से पश्चिम दिशा की और 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 217 तक की लंबाई का रास्ता कीमतन प्राप्त होने पर रेस्पोडेंट/प्रार्थीया को रोज–बेरोज की समस्या से निजात मिल जाएगा तथा उक्त रास्ता प्राप्त होने पर रेस्पोडेंट/प्रार्थीया अपने खेत का सही उपयोग–उपभोग कर सकेगा तथा अपनी व अपने परिवार की आजीविका सुचारू रूप से चला सकेगा। अभी तो रेस्पोडेंट/प्रार्थीया को अपने खेत की बुवाई निराई गुडाई एवं फसल लाटकर ले जाने हेतु अपने पडौसियों की मेहरबानी पर रहना पड़ता है क्योंकि आज दिन तक रेस्पोडेंट/प्रार्थीया के पास कोई भी स्थाई, सुचारू व सुविधाजनक रास्ता अपने खेत खसरा संख्या 229 पर जाने हेतु उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की कृषि भूमि के पश्चिम दिशा की तरफ लगता हुआ एक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो रास्ता उत्तर से दक्षिण की और आता जाता है। जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। रेस्पोडेंट/प्रार्थीया की अपनी कृषि आराजी पर जाने आने का एक मात्र रास्ता यही है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न वर्तमान राजस्व रिकार्ड के नक्शा ट्रेस में अंकित होने से पूर्णतया सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन संतोषजनक एवं सदभाविक प्रतीत होने से प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार करना उचित समझते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता हैं।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वकील अपीलार्थी का तर्क है कि मेरी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 242 के मध्य में से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता दिया गया है जिसके कारण मेंरे खेत के दो टुकडे हो गये है। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता का कथन है कि न्यायालय चाहे तो खसरा नम्बर 242 के उत्तरी सींव के सहारे सहारे 12 फीट का रास्ता दिया जा सकता है अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस ने अपीलार्थी के इस कथन से अपनी सहमति दी है। अभिभाषक उभयपक्ष की आपसी सहमति के आधार पर अधीनस्थ के आदेश में निम्न संशोधन कर रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि 229 में आवागमन हेतु 12 फिट का रास्ता मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 242 की उत्तरी सींव के सहारे सहारे 12 फिट का रास्ता उसके आगे खसरा नम्बर 230, 244, 240 व 241 में से 12 फिट दिये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझते है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 78/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.10.2021 में आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 229 में आवागमन हेतु 12 फिट का रास्ता मुख्य मार्ग से खसरा नम्बर 242 की उत्तरी सीव के सहारे–सहारे 12 फिट का रास्ता उसके आगे खसरा नम्बर 230, 244, 240 व 241 में से 12 फिट का रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, पीसांगन वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. की दुगनी राशि जो कि नियमानुसार बनती है उसका भुगतान प्रार्थीया से प्राप्त कर सम्बन्धित खसरा नम्बरान के खातेदारान को जरिये बैक ड्राफ्ट द्वारा दी जावें। भुगतान पश्चात् तहसीलदार, पीसांगन रास्ता कायम कर राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 230, 244, 240 व 241 में से 12 फीट भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 25.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner